



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 05 मई, 2026 / 15 वैशाख, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

**INDUSTRIES DEPARTMENT**

**Section-A**

**NOTIFICATION**

*Shimla-2, the 2nd May, 2026*

**No. Ind-A(A)1-1/2025-Vol-I.**—In continuation to this Department's Notification No. IND-A001/9/2022, dated 29th April, 2023 *vide* which the Department of Industries, Himachal Pradesh

25—राजपत्र / 2026—05—05—2026

(2305)

has been nominated as Nodal Department for setting up of Unity Mall in the State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the Director of Industries, Himachal Pradesh as Nodal Officer/Single point of contact (SPoC) for PM Ekta Mall (Unity Mall) for the State of Himachal Pradesh.

By order,  
Sd/-  
Additional Chief Secretary (Inds.).

## MUNICIPAL CORPORATION HAMIRPUR

### NOTIFICATION

*Dated, the 28th April, 2026*

**Subject : Framing of Rules, Terms and Conditions for Establishment and Operation of  
Private Parking Facilities within the MC Area, Hamirpur.**

**No.MCH/Comm./Bye-Laws/2026-2207.**—In exercise of the powers conferred under the relevant provisions section 395 of the HP Municipal Act, 1994 and in the interest of public convenience, traffic management, and orderly urban development, the Municipal Corporation, Hamirpur hereby issues the following rules, terms, and conditions for establishment and operation of Private Parking Facilities within the Municipal Corporation area of Hamirpur.

#### **1. Short Title and Commencement :-**

1. These rules may be called the “Private Parking Rules, MC Hamirpur”
2. They shall come into force with immediate effect or from the date notified by the Municipal Corporation.

#### **2. Applicability :-**

1. These rules shall apply to all private individuals, firms, societies, or companies operating or intending to operate parking facilities within the MC limits of Hamirpur.
2. No private parking shall operate without prior approval of the Municipal Corporation.

#### **3. Permission and Licensing :-**

1. Every private parking operator shall obtain a written permission /license from the Municipal Corporation, Hamirpur.
2. The license shall be valid for a specified period and shall be renewable subject to compliance with these rules.

3. The Municipal Corporation reserves the right to reject or cancel permission without assigning any reason in public interest.

#### **4. Location and Land Use :-**

1. Parking facilities shall be established only on land legally owned or leased by the operator.
2. Parking shall not obstruct public roads, footpaths, drains, emergency access, or right of way.
3. Conversion of land use, wherever required, shall be obtained from the competent authority.

#### **5. Infrastructure and Safety Requirements :-**

1. The parking area shall be :
  - (1) Properly leveled and paved
  - (2) Adequately illuminated
  - (3) Properly marked for vehicle movement and parking slots
  - (4) Fire safety arrangements and emergency exits shall be provided where applicable
  - (5) CCTV surveillance is mandatory as per MC directions.

#### **6. Rates and Display of Charges :-**

1. Parking rates shall be approved by the Municipal Corporation
2. A rate chart shall be prominently displayed at the entrance in Hindi/English
3. Overcharging shall attract penalty of Rs.5,000/-at first instance and Rs.10,000/2nd

Instance and further repetition of offence will lead to cancellation of license.

#### **7. Cleanliness and Environmental Norms :-**

1. The parking operator shall maintain cleanliness in and around the parking area
2. No dumping of waste or discharge of wastewater shall be allowed
3. Noise pollution and nuisance to nearby residents shall be strictly avoided.

#### **8. Responsibility and Liability :-**

1. The parking operator shall be responsible for orderly parking and traffic movement inside the premises.
2. The Municipal Corporation shall not be responsible for theft, damage, or loss of vehicles

3. A disclaimer board shall be displayed clearly.

#### 9. Penalty and Cancellation :-

1. Violation of any rule shall attract :
  - (1) Monetary penalty of Rs. 5,000/- at first instance and Rs. 10,000/- in second instance  
further repetition of offence will lead to cancellation of license.
  - (2) Suspension or cancellation of parking permission
2. Repeated violations may lead to permanent blacklisting.

#### 10. Inspection and Monitoring :-

1. Authorized officers of the Municipal Corporation shall have the right to inspect the parking premises at any time.
2. The operator shall provide full cooperation during inspections.

#### 11. Power to Amend :-

The Municipal Corporation, Hamirpur reserves the right to amend, modify, or withdraw these rules at anytime in public interest.

*Commissioner,  
Municipal Corporation, Hamirpur.*

---

### MUNICIPAL CORPORATION, UNA

#### NOTIFICATION

*Dated, the 24th April, 2026*

**No. MCU/Estate/Bye Laws/2026-1063.**—Whereas, the Municipal Corporation Una drafted the “MUNICIPAL CORPORATION UNA ERECTION, EXHIBITION, AFFIXATION OF ADVERTISEMENT AND HOARDING BYE-LAWS 2025” were published in the Rajpatra Himachal Pradesh (extra-ordinary) on 18-03-2026 *vide* Notification of even number dated 23-09-2025 for inviting public objections under section 397 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994.

And Whereas, no objections were received from any quarter within the specified period of 30 days from the date of publication of these draft bye-laws.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Section 395, 396 and Section 397 read with Section 115, 116, 117, 118 and 119 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) as amended from time to time, the final “MUNICIPAL CORPORATION UNA ERECTION, EXHIBITION, AFFIXATION OF ADVERTISEMENT

AND HOARDING BYE-LAWS 2025” are hereby notified and published the Rajpatra Himachal Pradesh (extra-ordinary) for information of the general public as follows, namely:—

**MUNICIPAL CORPORATION UNA ERECTION, EXHIBITION, AFFIXATION OF  
ADVERTISEMENT AND HOARDING BYE-LAWS 2025**

**1. Short title, commencement and application.**—(i) These Bye-laws may be called, "Municipal Corporation Una Erection, Exhibition, Affixation of Advertisement and Hoarding Bye-laws 2025".

(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extra-ordinary) Himachal Pradesh.

(iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of Municipal Corporation Una as defined from time to time.

**2. Definitions.**—(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:—

- (a) “Act” means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) as amended from time to time.
- (b) “Applicant” means any person applying for permission for erection, exhibition, affixation of advertisement and hoarding upon the land and buildings falling within the jurisdiction of Municipal Corporation Una which include the Government/Semi Government and Private buildings.
- (c) “Authorized Officer” means any Officer/Official duly authorized by the Corporation or its Commissioner under these Bye-laws.
- (d) “Hoarding” means any advertisement to be placed by way of erection, exhibition and affixation or to retain upon or over any land, building, wall, boarding, frame, poster structure or upon in any vehicle including any advertisement exhibited by means of cinematography.
- (e) “Place” means authorized sites/locations specified by the Corporation for erection, exhibition and affixation of advertisement hoarding with the limits of Corporation.
- (f) “Permission” means sanction/approval granted by the Commissioner or the Officers authorized by him in this behalf for erection, exhibition and affixation of advertisement hoardings.
- (g) “Special Judicial Magistrate 1st Class” means the Judicial Magistrate having jurisdiction over the area of Municipal Corporation Una under the Act.
- (h) Words and expressions used in these Bye-laws but not defined herein shall have the meaning respectfully assigned to them under the Act.

**3. Prohibition of advertisement without written permission of the Commissioner.**—

(i) No advertisement shall be erected, exhibited, affixed or retained upon or over any land building, wall boarding, frame, post or structure or upon in any vehicle or shall be displayed in any manner, whatsoever in any place within the Municipal area including private land and buildings without the written permission of the Commissioner granted in accordance with these bye-laws except the advertisement hoardings of the Central, State Government highlighting the achievements of the Governments within the area of Municipal Corporation Una.

(ii) All such advertisement hoarding erected/installed by any other individual, authority or agency including the public sector undertakings duly owned and controlled by the Government shall be liable to seek prior permission for erection and installation of such hoardings within the territorial jurisdiction of the Corporation, on such fees and other terms and condition as may be fixed in this behalf by the Commissioner under these bye-laws. However, no permission shall be permissible for the hoardings to be installed by Central, State Government highlighting the achievements of the Governments within the area of Municipal Corporation Una.

(iii) Any person authority or agent found erecting, exhibiting and affixing the advertisement hoardings illegally, unauthorizedly and without any permission shall be liable for penalty under these Bye-laws and such hoardings alongwith frame structure/vehicle displaying the same shall be impounded.

**4. Procedure for application and grant of permission.**—(i) Applicant or the person concerned, intending to erect, exhibit and affix the advertisement hoardings within the area of the Corporation, shall in writing submit the detail of the location/site, size of hoarding to be occupied for such installation to the Commissioner/Additional/Joint Commissioner or the Officer authorized in this behalf.

(ii) The application submitted by the applicant shall be verified by the concerned branch dealing with hoarding permission who shall after spot inspection process the same for the approval of the authority for grant of necessary permission in favour of the applicant after assessing the hoarding charges for erection, affixation and exhibition of such hoarding and convey the same to the applicant before granting permission.

(iii) The permission for erection, affixation and exhibition of advertisement hoarding shall be accorded only after obtaining receipt of the amount to be deposited by the applicant in the Corporation on this account.

(iv) The place for erection, affixation and exhibition of advertisement hoarding shall be communicated to the applicant by the concerned branch of the Corporation in writing and the name of the place/site of erection, affixation and exhibition of advertisement hoarding by the applicant shall also be mentioned on the hoardings to be affixed/erected and installed alongwith the date and period of sanction on such hoarding. Further, intimation of the same shall also be given to the Commissioner/Additional/Joint Commissioner, Municipal Corporation or to the Estate Branch of the Corporation or to the concerned agency or the contractor hired or engaged by the Corporation for managing the sites for erection, affixation and exhibition of advertisement hoardings.

(v) In the case of advertisement affixed, erected and installed upon vehicle, a person shall have to carry the original permission, a copy of which shall be affixed on the windscreen of the vehicle and the same shall have to be shown to the authorized officer of the Corporation at the time of inspection. Further, all other persons, authority or agency shall also be liable to show the sanction to the inspecting staff of the Corporation at any time.

(vi) The permission granted by the Commissioner for erection, exhibition and affixation of advertisement hoarding shall be time specific and after expiry of period of permission, the concerned person, authority and agency shall be liable to remove the same forthwith failing which the same shall be removed by the Corporation at the risk cost and responsibility of the person concerned. In addition the Commissioner shall impose penalty at the rate of Rupees 5000/- (Five Thousand) per day and amount shall be recovered from the concerned as per the provisions contained in Section 124 of the H.P. Municipal Corporation Act, 1994.

(vii) In case the advertisement hoarding is affixed on the private land or building including shops and the person concerned have failed to release the amount of fees to be paid to the

Corporation on account of such sanction, the Commissioner in addition to the aforesaid penalty shall take steps to withdraw civic amenities granted in favour of the person concerned and also to make request to concerned authority for withdrawal of sanction/recognition granted by them in favour of the person concerned.

(viii) The size of the hoarding shall not be more than the size as fixed by the Corporation and all the advertisement hoarding shall be installed in the specified area and no hoarding shall installed in heritage area. All the hoardings must be installed, erected in a way so as to preserve the aesthetics, scenic beauty.

(ix) No advertisement hoarding shall be erected on sharp and blind curves and should not be located in oblique to the road on any natural water source, tree, water line, Municipal drain, fire hydrant and on garbage container and at a place where it effects the growth of flora etc.

(x) The Commissioner in the exceptional circumstances or in the larger public interest may permit any person, authority or agency to erect, exhibit or affix the advertisement hoardings pertaining to social or State and National interest matter only for a period of 7 days in any area including Core/Heritage area.

(xi) No advertisement hoarding in contravention of any law, rules norms, notification or direction issued by the State Government or by the Municipal Corporation shall be erected, affixed and installed within the limits of Municipal Corporation. Further the directive issued by any Court of law in this regard shall be binding upon all the concerned.

**5. Rates for affixation, erection and installation of advertisement hoarding.**—The rate shall be notified/fixed by the Commissioner, Municipal Corporation Una for affixation, erection and installation of advertisement hoarding from time to time and the same shall be notified to the concerned seeking such permission.

**6. Duties and responsibilities of the applicant.**—(i) It shall be the duty and responsibility of the applicant to make available all the sanctions/ permissions granted by the competent authority to the said person, authority or agency to whom such permission has been granted by the Corporation and to follow the instructions/guidelines issued by the Corporation or by the Central/State Government in this regard from time to time.

(ii) Whosoever is found affixing, erecting and exhibiting the advertisement hoarding at a place other than the places so approved for such purpose and in contravention of conditions specified by the Commissioner, in such sanction the person, authority and agency shall be liable jointly for penalty under these Bye-laws in addition to the penalties already provided under the H.P. Municipal Corporation Act, 1994.

**7. Compounding of offences.**—All the offences punishable under these Bye-laws may, before, the institution of prosecution, be compounded by such officer as may be authorized by the Corporation or its Commissioner in this behalf, on payment of such sum as may be specified by such officer under these Bye-laws.

**8. Offences to be tried summarily.**—The offences which are not compounded shall be tried in a summary manner by the Special Judicial Magistrate 1st Class of the Corporation under section 383 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 read with Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

**9. Penalty.**—(i) Whosoever, is found guilty of affixing, erecting and exhibiting the advertisement hoarding at a place other than the place(s) specified/notified by the Corporation, the rate of penalty shall be rupees 2000/- (two thousand) per square feet per day to be calculated from

the date of erection/affixation of such unauthorized hoarding and till its removal by the concerned or by the Corporation.

(ii) In case of repeated violation and the person concerned failed to release the due amount including penalty to the Corporation within a period of 15 days, as the case may be, he/she shall also be liable for disconnection of water, electricity and others civic amenities and the Commissioner may request the competent authority for withdrawal of recognition and registration, if any, granted in his/her favour including withdrawal of building sanction granted in favour of the owner concerned if such unauthorized hoarding is found erected upon the building concerned.

**10. Repeal and Savings.**—The scheme regulation, bye-laws if any, relating to affixation, erection and exhibition of advertisement hoardings is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, bye-laws and Regulations the same shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these bye-laws.

Sd/-  
Commissioner,  
Municipal Corporation, Una.

ब अदालत श्री डी०सी० राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,  
जिला चम्बा (हि०प्र०)

श्रीमती तुलसी देवी पुत्री जस्सा, निवासी गांव लमहोता, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा  
(हि०प्र०) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती तुलसी देवी पुत्री जस्सा, निवासी गांव लमहोता, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 10-11-1985 को ग्राम पंचायत खड़जोता, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खड़जोता, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत खड़जोता के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 08-05-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री शाम पुत्र साई, निवासी गांव रिखवाणी, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री शाम पुत्र साई, निवासी गांव रिखवाणी, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 28-11-1994 को ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अतः ग्राम पंचायत सिंगाधार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 08-05-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री दौलत राम पुत्र रिसालू, निवासी गांव चढ़, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री दौलत रमा पुत्र रिसालू निवासी गांव चढ़ परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 01-10-2001 को ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अतः ग्राम पंचायत भड़ेला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 08-05-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री सुरेश कुमार पुत्र खजान सिंह, निवासी गांव भेलू परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री सुरेश कुमार पुत्र खजान सिंह, निवासी गांव भेलू परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 01-03-2002 को ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सलूणी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 08-05-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती खुरमा पुत्री शेरू, निवासी गांव पुनियाडी, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)  
वादिनी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती खुरमा पुत्री शेरू, निवासी गांव पुनियाडी परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 26-02-2001 को ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत सिंगाधार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 08-05-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री शुभम ठाकुर पुत्र खेमराज, निवासी गांव घुंडेरा, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

## बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री शुभम ठाकुर पुत्र खेमराज, निवासी गांव घुंडेरा, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 08-02-2008 को ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सलूणी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 08-05-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती लाम्बी पुत्री निधिया राम, निवासी गांव इन्द्रेश्वर, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती लाम्बी पुत्री निधिया राम, निवासी गांव इन्द्रेश्वर परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 01-01-1971 को ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत दिघाई के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो

उजरकर्ता दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 08-05-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती नीचनु पत्नी चतरो, निवासी गांव खडकियाला, परगना डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा  
(हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती नीचनु पत्नी चतरो, निवासी गांव खडकियाला परगना डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र का जन्म 26-07-2012 को ग्राम पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश उक्त जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत डांड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उपरोक्त जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 08-05-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री ज्ञान चन्द पुत्र नौरग, निवासी गांव मनियोगा, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा  
(हि0प्र0) प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री ज्ञान चन्द पुत्र नौरग, निवासी गांव मनियोगा, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पोते का जन्म 29-06-2022 को ग्राम पंचायत कंधवारा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश उक्त जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत कंधवारा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत कंधवारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उक्त जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 08-05-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,  
जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती ललिता पुत्री कन्ठ, निवासी गांव ऐरवां, परगना जून्ड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)  
प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती ललिता पुत्री कन्ट, निवासी गांव ऐरवां, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 31-12-1973 को ग्राम पंचायत सुन्डला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुन्डला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत सुन्डला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 08-05-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 804612/2026

दिनांक मरजुआ : 08-04-2026

तारीख पेशी : 08-05-2026

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री जितेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 श्री बेली राम, निवासी गांव कोयल, डाकघर कोयल, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र.—U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री जितेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 श्री बेली राम, निवासी गांव कोयल, डाकघर कोयल, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी गडेझ में जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री बेली राम लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री बेली राम है। ग्राम पंचायत गडेझ के रिकॉर्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकॉर्ड तथा पहचान-पत्र में जितेन्द्र चौहान दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी गडेझ में जितेन्द्र कुमार के स्थान पर जितेन्द्र चौहान दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी गडेझ में जितेन्द्र कुमार के स्थान पर जितेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 श्री बेली राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 08-05-2026 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही

अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी गड़ेझ में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 818640 / 26

आगामी पेशी : 08-05-2026

श्री दलीप सिंह पुत्र किशन सिंह, निवासी गांव ठगवाचा, डाकघर व तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इद्राज दुरुस्ती)।

श्री दलीप सिंह पुत्र किशन सिंह, निवासी गांव ठगवाचा, डाकघर व तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में ऑनलाइन आवेदन-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख मोहाल रैला, पटवार वृत्त रैला में किशन चन्द दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसके पिता का नाम किशन सिंह दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि किशन चन्द व किशन सिंह दोनों नाम उसके पिता के ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला में अपने पिता का नाम किशन चन्द के बजाए किशन चन्द उर्फ किशन सिंह दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 08-05-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त रैला के मोहाल रैला, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थी के पिता का नाम किशन चन्द उर्फ किशन सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 8186439/26

आगामी पेशी : 08-05-2026

श्रीमती फुला देवी पुत्री स्व0 श्री मनी राम, निवासी गांव पटाहरा, डाकघर बजाहरा, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इंद्राज दुरुस्ती)।

श्रीमती फुला देवी पुत्री स्व0 श्री मनी राम, निवासी गांव पटाहरा, डाकघर बजाहरा, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में ऑनलाइन आवेदन-पत्र पेश किया है कि उसके स्व0 हकीकी भाई का नाम राजस्व अभिलेख मोहाल शैशर, पटवार वृत्त शैशर में कोम दत दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसके स्व0 हकीकी भाई का नाम ओम प्रकाश दर्ज है, जोकि सही है। प्रार्थिया ने ब्यान हल्फिया दिया है कि कोम दत व ओम प्रकाश दोनों नाम उसके स्व0 हकीकी भाई के ही हैं। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैशर के मोहाल शैशर में अपने स्व0 हकीकी भाई का नाम कोम दत के बजाये कोम दत उर्फ ओम प्रकाश दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके स्व0 हकीकी भाई का नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के स्व0 हकीकी भाई का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैशर के मोहाल शैशर में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 08-05-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शैशर के मोहाल शैशर, तहसील सैज में उक्त प्रार्थिया के स्व0 हकीकी भाई का नाम कोम दत उर्फ ओम प्रकाश दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 8186438/26

आगामी पेशी : 07-05-2026

श्री देश राज पुत्र धर्म चन्द, निवासी गांव धाराकुटली, डाकघर ब्रैहिन, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—Section 37 of H.P. Land Revenue Act, 1954 (राजस्व इंड्राज दुरुस्ती)।

श्री देश राज पुत्र धर्म चन्द, निवासी गांव धाराकुटली, डाकघर ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में ऑनलाइन आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल भलाण, पटवार वृत्त भलाण में देस राज दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम देश राज दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि देस राज व देश राज दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भलाण के मोहाल भलाण में अपना नाम देस राज के बजाये देस राज उर्फ देश राज दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भलाण के मोहाल भलाण में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 08-05-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भलाण के मोहाल भलाण, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थी का नाम देस राज उर्फ देश राज दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**In the Court of Executive Magistrate, Banjar, District Kullu (H.P.)**

Heema Devi

. Applicant.

*Versus*

General Public

. Respondent.

*Subject.*—Notice Under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Heema Devi d/o Sh. Chet Ram, resident of Village Dhaman, P.O. Larji, Tehsil Banjar, District Kullu, H.P., has submitted an application received through the office of the District Registrar (B & D)-cum-Chief Medical Officer, Kullu, Distt. Kullu, H.P. alongwith an affidavit stating that her birth, which occurred on 18-10-1982, has not been entered in the records of Gram Panchayat, Larji.

Hence, the general public is hereby informed through this notice that if any person or relative has any objection regarding the entry of her birth on 18-10-1982 in the Panchayat record of Gram Panchayat Larji, he/she/they may file the objection on or before 10-5-2026 before this court. In the absence of any objection, an *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 25th day of March, 2026.

Seal.

Sd/-  
Executive Magistrate,  
Banjar, District Kullu (H.P.).

**In the Court of Executive Magistrate, Banjar, District Kullu (H.P.)**

Sonu

. Applicant.

Versus

General Public

. Respondent.

*Subject.*—Notice Under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Sh. Sonu s/o Shri Khem Chand resident of Village Dhar, P.O. Gushanini, Tehsil Banjar, District Kullu, H.P., has submitted an application received through the office of the District Registrar (B & D)-cum-Chief Medical Officer, Kullu, Distt. Kullu, H.P. accompanying with an affidavit stating that the birth event of herself born on 27-04-2000, has not been entered in the records of Gram Panchayat, Tung.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative has any person or relatives have any objection regarding entering birth event of the applicant born on 27-04-2000 in the Panchayat record of Gram Panchayat Tung, he/she/they may file his/her/their objection on or before 10-05-2026, before this court. In case of non-filing of any objection the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 25th day of March, 2026.

Seal.

Sd/-  
Executive Magistrate,  
Banjar, District Kullu (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था वृत्त, जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 23 / 24

तारीख दायर : 04-09-2024

श्री अजय भगत पुत्र श्रीमती निरूपमा पुत्र जगरनाथ, निवासी महाल भजराला, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रार्थी।

## बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र रामरथ पुत्र सुदामा, 2. श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री रामरथ पुत्र सुदामा, 3. श्रीमती सरला देवी पुत्री रामरथ पुत्र सुदामा, 4. श्रीमती रक्षा देवी पुत्री रामरथ पुत्र सुदामा, 5. श्रीमती बबली देवी पुत्री राम रथ पुत्र सुदामा, 6. श्रीमती निर्वला देवी पुत्री रामरथ पुत्र सुदामा व श्रीमती जानकी पत्नी रामरथ, 7. बुद्धि सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र रामरथ, 8. शक्ति सिंह दतक पुत्र सरवन कुमार पुत्र शंकर (व पुत्र सुदामा), 9. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी भवानी पुत्र शंकर, 10. बहादुर सिंह पुत्र रामरथ पुत्र सुदामा, 11. पुन्नु राम पुत्र सत्या पुत्री सुदामा, 12. कृष्ण सिंह पुत्र श्रीमती सत्या पुत्री सुदामा, निवासी गांव व डाकघर भराडू, तहसील जोगिन्दर नगर, 13. राहुल पुत्र रवि कुमार पुत्र किरपू, 14. राखी पुत्री रवि कुमार पुत्र किरपू, 15. भीम सिंह पुत्र मंगतू पुत्र चौधरी, 16. राजकुमार पुत्र गरीब सिंह पुत्र मंगतू, 17. अंशु पुत्री रवि कुमार पुत्र गोविन्द राम, 18. ईशा पुत्री रवि कुमार पुत्र गोविन्द राम, 19. श्रीमती केसरा पुत्री शंकर पुत्र सिधु, 20. श्रीमती कान्ती पुत्री शंकर पुत्र सिधु, 21. श्रीमती ब्रह्मी पुत्र शंकर पुत्र सिधु, 22. श्रीमती धनी पुत्री शंकर पुत्र सिधु, 23. श्रीमती भिंगा पुत्री शंकर पुत्र सिधु, 24. श्रीमती पुन्नी पुत्री शंकर पुत्र सिधु, 25. गोविन्द राम पुत्र बूटा राम, 26. पंचम मेहरा पुत्र बहादुर सिंह पुत्र रामरथ, 27. अकशु पुत्र रजनी देवी पुत्र मेहर चन्द, 28. मधु बलवानी पुत्री सुरेश कुमार पुत्र तुलसी राम, निवासी धानग, तहसील बैजनाथ, 29. अनिल कुमार पुत्र सन्नो देवी पुत्री गोविन्द राम, 30. अरुण कुमार पुत्र सन्नो देवी पुत्री गोविन्द राम दोनों निवासी पेटू (भराडू), तहसील जोगिन्दर नगर, 31. श्रीमती मीरा देवी पुत्री गोविन्द राम पुत्र शंकर सभी निवासी महाल भजराला, तहसील जोगिन्दर नगर, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हि0प्र0। 32. सरकार हिमाचल प्रदेश (लोक निर्माण विभाग)

प्रतिवादीगण।

विषय.—जेर—धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत खाता/खतौनी 17/24-26, कित्ता 45, रकबा तादादी 64-02-04 बीघा स्थित महाल भजराला, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी के विभाजन बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अजय भगत पुत्र श्रीमती निरुपमा पुत्री जगरनाथ, निवासी महाल भजराला, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 द्वारा खाता/खतौनी 17/24-26, कित्ता 45, रकबा तादादी 64-02-04 बीघा स्थित महाल भजराला, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी के विभाजन बारे आवेदित प्रार्थना-पत्र इस अदालत में विचाराधीन है। प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के दौरान पाया गया कि प्रतिवादीगण में से कुछ प्रतिवादीगण को साधारण ढंग से समन की तामील होना नहीं पाया जा रहा है। अतः अब इस अखबारी इशतहार द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 08-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे अपना पक्ष रखने हेतु असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आवें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
वृत्त जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल शर्मा तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रेम सिंह पुत्र श्री कामा नन्द, निवासी गांव बजेटली, डाकघर सूरड, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

## आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे।

प्रेम सिंह पुत्र श्री कामा नन्द, निवासी गांव बजेटली, डाकघर सूरड, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र गुजारकर निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 05-04-1968 अज्ञानता के कारण निश्चित अविध में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत टिप्पर मझोली के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित), परिवार नकल व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसका जन्म पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत टिप्पर मझोली को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अतः दिनांक 17-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(अनिल शर्मा)

तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-----

**In the Court of Assistant Collector, IInd Grade-cum-Naib Tehsildar, Nankhari,  
District Shimla (H.P.)**

Case No. : 81597/2026

Date of Next Hearing : 11-05-2026

In the matter of :

Ishwar Dutt s/o Sh. Shalig Ram, r/o Village Bhamnoli, P.O. Khunni, Tehsil Nankhari,  
District Shimla (H.P.) . . .Applicant.

*Versus*

General Public

. . .Respondent.

*Application of correction of name under Section 38 of Land Revenue Act, 1954.*

Whereas, Ishwar Dutt s/o Sh. Shalig Ram, r/o Village Bhamnoli, P.O. Khunni, Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) has submitted an application under Section 38 of the Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Aadhar Card, Parivar Nakal, Pan Card, Jamabandi Parcha etc. in the court of undersigned.

Wherein he stated that, he belongs to above mentioned address. His name is written as Ishwar Dass in the revenue record of Mohal Bhamnoli, Tehsil Nankhari which is wrong. His original/correct name is "Ishwar Dutt". Therefore he requests to correct his name as "Ishwar Dutt"

instead of Ishwar Dass in the revenue record of Mohal Bhamnoli, Tehsil Nankhari, as per supportive documents enclosed by him with the application.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court on or before 11-05-2026, no objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand seal of the Court on dated 10-04-2026.

Seal.

Sd/-  
Assistant Collector, II Grade,  
Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Kupvi, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Surender Singh s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Serti, P.O. Malat, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

*Proclamation Regarding correction of name and date of birth.*

Whereas, Sh. Sh. Surender Singh s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Serti, P.O. Malat, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.) has filed as application alongwith an affidavit before this court.

The applicant has stated that the name of applicant's son have been incorrectly recorded in his Aadhar Card. However, as per the birth certificate and Panchayat records their correct name is recorded.

The detail of applicant are as under:—

Sr. No.	Name of the family members	Relationship with applicant	wrong Name & Date of birth	Correct Name & Date of birth.
1.	ANUSHKA	DAUGHTER	AANIA	ANUSHKA
2.	HARSHITA	DAUGHTER	GUDIYA	HARSHITA

in accordance with the birth Certificate issued by the Secretary G.P.Malat, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).

Now, therefore objections if any, are invited from the general public with regard to the correction of the name of the applicants daughters. Any person having any objection in this regard may appear before the undersigned on or before 16-05-2026, either personally or through a duly authorized agent or counsel. in case no objection is received within the stipulated period, the matter shall be decided *ex-parte* without any further opportunity of hearing, and the correction shall be carried out accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 17th day of April, 2026.

Seal.

*Executive Magistrate-cum-Naib-Tehsildar,  
Kupvi, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Brij Lal s/o Sh. Faganu Ram, r/o Village Kalmu, P.O. Galani, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh . . . *Applicant.*

*Versus*

General Public

. . . *Respondent.*

**NOTICE/PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME  
IN AADHAR CARD OF ANGEL**

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his daughter's name from Baby Two of Laxmi to Angel in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the application.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to change of name as Angel in place of Baby Two of Laxmi, they should appear before the undersigned on or before 23-05-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 24-04-2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-  
(MUKESH SHARMA, HAS),  
*Sub-Divisional Magistrate,  
Kumarsain, District Shimla (H.P.).*

---

**In the Court of Assistant Collector, I st Grade Shimla Rural, District Shimla (H.P.)**

Case No. : 700833/2026

Date of Institution : 22-01-2026

Date of Hearing : 02-06-2026

Smt. Savitri Devi d/o Sh. Devi Nand, r/o Village Gharech, P.O. Kufri, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.) . . . *Applicant.*

---

*Versus*

General Public

. . Respondent.

*Publication Order*

In the present case an application has been filed by Smt. Savitri Devi d/o Sh. Devi Nand, r/o Village Gharech, P.O. Kufri, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.) for correction of her name in the revenue record pertaining to land comprised in Khata/Khatani No. 1/1, 2/3, 3/4 situated at mohal Gharech, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.)

The applicant has submitted that her correct name is "Savitri Devi", whereas in the revenue record her name has been wrongly recorded as "Sumitra". She has further stated that both names refer to one and the same person and has placed on record copies of Aadhar Card and Parivar Register in support of her claim.

Upon preliminary consideration of the application and the documents annexed therewith, this Court is of the view that before passing any final order, it is necessary to invite objections, if any from the general public and interested persons. Accordingly, it is hereby ordered that a public notice/proclamation is issued and published for inviting objections, if any against the proposed correction of name of the applicant from "Sumitra to Savitri Devi" in the relevant revenue record.

Any person having objection to the proposed mutation/change of name in revenue records may file objections, if any in this office in writing before the undersigned within 30 days from the date of publication of this order. If no objection is received within the prescribed period, further action shall be taken in accordance with law on merits of the case.

Issued under my hand and seal this day of 23rd April, 2026.

Seal.

Sd/-  
Assistant Collector 1st Grade,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)**

Roop Dass s/o Late Sh. Kaulu Ram, r/o Village Bhavaridhar, P.O. Chekul, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

**NOTICE/PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME IN  
AADHAR CARD OF ROOP DASS**

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of name of his from Rupu to Roop Dass in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the application.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to change name as Roop Dass in place of Rupu, they should appear before the undersigned on or before 19-05-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 20-04-2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-  
(MUKESH SHARMA, HAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

सरीता कुमारी पुत्री श्री फंदिया राम, निवासी ग्राम भंगाल, डाकघर टिक्करी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

विषय.—13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया सरीता कुमारी पुत्री श्री फंदिया राम, निवासी ग्राम भंगाल, डाकघर टिक्करी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	सरीता कुमारी	स्वयं	12-02-1995

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत टिक्करी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 11-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(कुश कुमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री अब्दुला पुत्र श्री इशाक मोहम्मद, निवासी ग्राम किमाचन्द्रावली, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री अब्दुला पुत्र श्री इशाक मोहम्मद, निवासी ग्राम किमाचन्द्रावली, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	तरत्रुम जहां	पुत्री	05-05-1997

अतः आम जनता को बजरिया इश्तार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 25-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(कुश कुमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री नूर मोहम्मद शेख पुत्र श्री इसहाक मोहम्मद, निवासी ग्राम किमाचन्द्रावली, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी नूर मोहम्मद शेख पुत्र श्री इसहाक मोहम्मद, निवासी ग्राम किमाचन्द्रावली, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र व पुत्री व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	तबक्कुल जहाँ	पुत्री	15-04-1999
2.	इकराम इलाही	पुत्र	09-07-2004

अतः आम जनता को बजरिया इश्तार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 25-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(कुश कुमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री सागर पुत्र श्री बबलू, ग्राम निवासी क्यारला, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)  
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री सागर पुत्र श्री बबलू, ग्राम निवासी क्यारला, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है :

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	महेन्दर	पुत्र	02-02-2010

अतः आम जनता को बजरिया इश्तार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस

पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौड़िया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 17-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
(कुश कुमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

-----  
**Before Dr. Shashank Gupta, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H.P.**

In the matter of :

1. Shri Askhim Saizi s/o Shri Saidi Saizi, r/o 7 Sebungwe Upper Glenville Avenue, Richmond, Bulawayo, Zimbabwe Passport No. AE760740, ID No. 19 039172B19 CITM place of Birth Umzingwane

2. Smt. Geeta Rani d/o Sh. Jai Pal, r/o H. No, 3701, Gali No. 1, Shiv Colony, Kaithal Road, Karnal, Haryana India . . Applicants.

*Versus*

General Public

. . Respondents.

*Proclamation for the registration of marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.*

Shri Askhim Saizi s/o Shri Saidi Saizi, r/o 7 Sebungwe Upper Glenville Avenue, Richmond, Bulawayo, Zimbabwe Passport No. AE760740, ID No. 19 039172B19CITM place of Birth Umzingwane and Smt. Geeta Rani d/o Sh. Jai Pal, r/o H. No 3701, Gali No. 1, Shiv Colony, Kaithal Road, Karnal, Haryana India have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-08-2025 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is be registered under Special Marriage Act, 1954 under section 15.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 9th day of April, 2025.

Seal.

sd/-  
(DR. SHASHANK GUPTA), HPAS,  
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Theog, District Shimla, H.P.

**समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

मिसल नं० : 10/13(3) of 2026

तारीख मजरूआ : 04-04-2026

तारीख पेशी : 08-05-2026

प्रार्थिया श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री माता राम, निवासी कांडो कांसर, पी. ओ. कांडो कांसर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थिया श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री माता राम, निवासी कांडो कांसर, पी. ओ. कांडो कांसर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपना नाम व जन्म ग्राम पंचायत कांडो कांसर में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 18-08-1966 को ग्राम पंचायत कांडो कांसर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत कांडो कांसर में दर्ज न करवा सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 08-05-2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

-----  
कार्मिक विभाग  
(नियुक्ति- 1।)

अधिसूचना

शिमला-171 002, 30 अप्रैल, 2026

**संख्या: पर (एपी-बी)ए(3)-3/2025.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 7-20/71-डीपी(नि0), तारीख 07-09-1971 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (स्टाफ) रेगुलेशन, 1971 के अनुक्रम में, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में संयुक्त सचिव गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं ग्रुप-ए भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश संयुक्त सचिव गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं, वर्ग-ए के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. पद का नाम, पद्धति, संवर्ग, वर्गीकरण, वेतनमान और चयन या अचयन.—इन नियमों से संलग्न अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट

3. सीधी भर्ती के लिए आयु.—लागू नहीं
4. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—लागू नहीं
5. सीधी भर्ती के लिए वांछित अर्हताएं.—लागू नहीं
6. प्रोन्नति के लिए शैक्षिक अर्हताएं.—लागू नहीं
7. परीक्षा.—लागू नहीं
8. भर्ती की पद्धति.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (अनुसूची-II में ब्यौरावृत्त प्रक्रिया इंगित की गई है)
9. नियमितकरण की पद्धति.—लागू नहीं

10. प्रोन्नति/स्थानान्तरण, सैकंडमेंट द्वारा भर्ती शर्तें.—प्रोन्नति द्वारा भर्ती इन नियमों से संलग्न अनुसूची-II में यथा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/अपवादों के अधीन की जाएगी।

(I) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

**स्पष्टीकरण:**—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे, एक्स सर्विसमेन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(II) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी: परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

11. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

12. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

13. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—लागू नहीं

14. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं

15. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण के बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

16. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

18. निरसन और व्यावृत्तियां.—लागू नहीं

आदेश द्वारा,  
सचिव(कार्मिक)।

### अनुसूची-I

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1.	संयुक्त सचिव, गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं	01 (एक)	ग्रुप-ए	हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतनमान) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान से संलग्न पे मैट्रिक्स का लेवल-26	चयन

## अनुसूची- II

क्रम संख्या	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संयुक्त सचिव, गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	शैक्षणिक अर्हता—लागू नहीं। उप सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका उप सचिव और अवर सचिव के रूप में संयुक्ततः चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उप सचिव के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर उप सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के रूप में संयुक्ततः सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें उप सचिव के रूप में एक वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित हो।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP-B)A(3)-3/2025 dated 30-04-2026 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## PERSONNEL DEPARTMENT

## (Appointment-II)

## NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 30th April, 2026

**No. Per (AP.B)A(3)-3/2025.**—In exercise of the powers conferred by Article 318 of the Constitution of India, and in continuation of Himachal Pradesh Public Service Commission (Staff) Regulations, 1971, notified *vide* No. 7-20/71-DP(Apptt.) dated 07-09-1971, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment and conditions of service of Joint Secretary, Non-HPAS, Group-A, in the office of the Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla, Himachal Pradesh, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the “Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Secretary, Non-HPAS, Group-A in the Himachal Pradesh Public Service Commission, 2026.”

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**2. Nomenclature of post, cadre, strength, classification, scale of pay and selection or non-selection.**—As specified in the SCHEDULE- I, annexed to these rules.

**3. Age for Direct Recruitment.**—NA

**4. Essential educational and other qualification(s) required for direct recruit(s).**—NA

**5. Desirable qualification(s) for direct Recruit(s).**—NA

**6. Educational qualification(s) for promotee(s).**—NA

**7. Probation.**—NA

**8. Method(s) of recruitment.**—100% by promotion (Detailed procedure is indicated in SCHEDULE-II).

**9. Method of Regularization.**—NA

**10. Conditions for recruitment by promotion/transfer/secondment.**—The recruitment by way of promotion shall be made in accordance with the procedure as laid down in the SCHEDULE-II, annexed to these rules, subject to the following conditions/exceptions;

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules:

Provided that in all the cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years’ or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**Explanation.**—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen who have joined the Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-

Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rules-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 (as amended from time to time) and having been given the benefit of seniority thereunder.

(II) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

**11. Departmental Promotion Committee/Confirmation Committee.**—As may be constituted by the Government from time to time.

**12. Consultation with Public Service Commission.**—As required under the Law

**13. Essential requirement for direct recruitment.**—NA

**14. Selection for appointment to the post by direct recruitment.**—NA

**15. Reservation.**—NA

**16. Departmental Examination.**—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

**17. Power to Relax.**—Where the State Government is in the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax, any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of Person(s) or Post(s).

**18. Repeal and Savings.**—NA

By order,  
Secretary (Personnel).

#### SCHEDULE-I

Sl. No.	Name of the Post	Number of Post(s)	Classification	Scale of Pay	Selection/Non-Selection
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1.	Joint Secretary, Non-HPAS	01 (One)	Group-A	“Level-26 of the pay matrix attached with the time scale of the post as per HPCS (Revised Pay) Rules, 2022	Selection

**SCHEDULE-II**

<b>Sl. No.</b>	<b>Name of post</b>	<b>Method of Recruitment</b>	<b>Educational and other Qualification(s)</b>
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	Joint Secretary, Non-HPAS	100 % by promotion	<p>Educational Qualifications- NA</p> <p>By promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 04 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, combined as Deputy Secretary and Under Secretary which shall also include essential service of 02 years as Deputy Secretary, failing both by promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 07 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, combined as Deputy Secretary, Under Secretary and Section Officer which shall also include essential service of 01 year as Deputy Secretary.</p>

**CHANGE OF NAME**

I, Kasim Ali s/o Sh. Roshan Mohammed, r/o Village Dadoh, P.O. Dhaban, Village/Mohal Dadoh, Tehsil Balh, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-175 027 declare that I want to change my name from Sk Raju to Kasim Ali in my Aadhar Card No. 5677 1657 7989. All concerned please note.

KASIM ALI  
s/o Sh. Roshan Mohammed,  
r/o Village Dadoh, P.O. Dhaban, Village/Mohal Dadoh,  
Tehsil Balh, Distt. Mandi, Himachal Pradesh-175 027.

**CHANGE OF NAME**

I, Poonam Sharma aged 41 years w/o Sh.Chander Mohan Sharma, r/o Village Bihar, P.O. Rajhana, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh declare that in my daughter's Aadhar Card bearing No. 9065 0155 1570, my daughter's name is entered as Janvi Sharma instead of Janhvi Sharma. That Janhvi Sharma & Janvi Sharma is the name of one and same person.

POONAM SHARMA  
w/o Sh.Chander Mohan Sharma,  
r/o Village Bihar, P.O. Rajhana,  
Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

**CHANGE OF NAME**

I, Anjali w/o Sh. Ajay Kumar, r/o Village Sai, P.O. Gwal Pathar, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Thakur Rudraveer Singh to Rudra Thakur. He shall be known as Rudra Thakur for all purposes in future. All concerned please note.

ANJALI  
w/o Sh. Ajay Kumar,  
r/o Village Sai, P.O. Gwal Pathar,  
Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Vijay Kumar s/o Sh. Milkhi Ram, r/o Village Taryamblu, P.O. Majheen, Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.) declare that in Aadhar Card of my daughter, her name is wrongly entered as Subhanshi Koundal instead of Subanshi Koundal. Concerned note it.

VIJAY KUMAR  
s/o Sh. Milkhi Ram,  
r/o Village Taryamblu, P.O. Majheen,  
Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Hukko Devi w/o Sh. Roshan Lal, Tehsil Sadar, Sehli (63), Mandi (H.P.)-175 052 declare that I want to change my name from Hako Devi to Hukko Devi in my Aadhar Card No. 7109 0188 4195. All concerned please note.

HUKKO DEVI  
w/o Sh. Roshan Lal,  
Tehsil Sadar, Sehli (63),  
Mandi (H.P.)-175 052.

**CHANGE OF NAME**

I, Vimla Devi w/o Sh. Sant Ram, Vill. Samkal, P.O. Upper Behli, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)-175 018 declare that I want to change my name from Satya Nath to Vimla Devi in Aadhar Card No. 5644 1977 3769. All concerned please note.

VIMLA DEVI  
w/o Sh. Sant Ram,  
Vill. Samkal, P.O. Upper Behli,  
Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)-175 018.

---

**CHANGE OF NAME**

I, Shailu w/o Sh. Manoj Kumar, r/o Vill. Sorar, P.O. Jol Sappar, Sub-Tehsil Kangoo, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Shalu Kumari to Shailu. I shall be known as Shailu for all purposes in future. All concerned please note.

SHAILU  
w/o Sh. Manoj Kumar,  
r/o Vill. Sorar, P.O. Jol Sappar,  
Sub-Tehsil Kangoo, Teh. Nadaun,  
Distt. Hamirpur (H.P.).

---

**CORRECTION OF NAME**

I, Nimi Devi c/o Sh. Laloo Ram, Vill. Maswahan, P.O. Urla, Teh. Padhar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 3399 2924 7806, my husband's name has been wrongly entered as Heera Lal. His correct name is Laloo Ram. All concerned note it.

NIMI DEVI  
c/o Sh. Laloo Ram,  
Vill. Maswahan, P.O. Urla,  
Teh. Padhar, Distt. Mandi (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Shamim Ahmad s/o Sh. Abdul Vahid, r/o House No. 1261/6, Shiv Puri Road, Mohalla Amarpur, Nahan, District Sirmaur (H.P.)-173 001 declare that I have changed my name from Mustakim Ansari (Old Name) to Shamim Ahmad (New Name). All concerned please may note.

SHAMIM AHMAD  
s/o Sh. Abdul Vahid,  
r/o House No. 1261/6,  
Shiv Puri Road, Mohalla Amarpur, Nahan,  
District Sirmaur (H.P.)-173 001.

---

**CHANGE OF NAME**

I, Vikram Singh s/o Shri Ram Sukh, r/o Teh. Nahan, Kot Banlog (44), Sirmaur (H.P.) -173 001 declare that I have changed my son's name from "Baby one of Meeta" (Old Name) to Mitesh Kumar (New Name). All concerned please note.

VIKRAM SINGH  
s/o Shri Ram Sukh,  
r/o Teh. Nahan, Kot Banlog (44),  
Sirmaur (H.P.) -173 001.

**CORRECTION OF NAME**

I, Yousf Ali s/o Sh. Chuhar Deen, Village Ghutanpur 132, P.O. Batamandi, District Sirmaur (H.P.) declare that my name Yusuf Ali is wrongly written in my Aadhar Card 2435 5695 9205 which should be corrected and written as Yousf Ali.

YOUSF ALI  
s/o Sh. Chuhar Deen,  
Village Ghutanpur 132,  
P.O. Batamandi, District Sirmaur (H.P.).

**CORRECTION OF NAME**

I, Mohinder Singh s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Shengcha, P.O. Madana, Tehsil Sainj, Distt. Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Mahinder in my Aadhar Card. Now, I intend to correct my name as Mohinder Singh in Aadhar Card. Concerned note it.

MOHINDER SINGH  
s/o Sh. Amar Singh,  
r/o Village Shengcha, P.O. Madana,  
Tehsil Sainj, Distt. Kullu (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Krishni Devi (48) w/o Sh. Ranjan Chandel, r/o House No. 41/3, Village Chakhara, Post Office Bhojpur, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Krishna to Krishni Devi. All concerned please note.

KRISHNI DEVI  
w/o Sh. Ranjan Chandel,  
r/o House No. 41/3,  
Village Chakhara, Post Office Bhojpur,  
Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Suraj Vanshi s/o Sh. Vyas Karan, r/o Village Thangi, P.O. Thangi, Teh. Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.) declare that I have changed my name from Kunkhen Sherab to Suraj Vanshi. I shall be known as Suraj Vanshi for all purposes in future. All concerned please note.

SURAJ VANSHI  
s/o Sh. Vyas Karan,  
r/o Village Thangi, P.O. Thangi,  
Teh. Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Vipen Mahajan w/o Sh. Virender Kumar, r/o Mohalla Sapri, Chamba Town, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that I want to change my name from Vipin to Vipen Mahajan in my Aadhar Card No. 9527 4640 4031. All concerned please note.

VIPEN MAHAJAN  
w/o Sh. Virender Kumar,  
r/o Mohalla Sapri, Chamba Town,  
Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Divya Gupta (New Name) w/o Sh. Ashish Kumar, r/o Village Hatkot (467), Post Office Kunihar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Divya (Old Name) to Divya Gupta (New Name). Concerned authorities may note.

DIVYA GUPTA  
w/o Sh. Ashish Kumar,  
r/o Village Hatkot (467), Post Office Kunihar,  
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

---

**CORRECTION OF NAME**

I, Bal Krishan s/o Sh. Banku Ram, r/o Village & P.O. Tandri, Sub-Tehsil Neether, District Kullu (H.P.) declare that my son's name is incorrectly listed as Akshu in his Aadhar Card while it appears as Akshay Kumar in Panchayat records and other documents. Please correct the name to Akshay Kumar.

BAL KRISHAN  
s/o Sh. Banku Ram,  
r/o Village & P.O. Tandri,  
Sub-Tehsil Neether, District Kullu (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Manjeet Kumar s/o Late Sh. Jagdish Chand, r/o Ward No. 3, H. No. 204, Partap Nagar, P.O. & Tehsil Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Divyansh to Bivyansh Jaryal. He shall be known as Bivyansh Jaryal for all purposes in future. All concerned please note.

MANJEET KUMAR  
s/o Late Sh. Jagdish Chand,  
r/o Ward No. 3, H. No. 204, Partap Nagar,  
P.O. & Tehsil Hamirpur (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Fulla Devi w/o Sh. Gopal Krishan, r/o Village Nagdhar, P.O. Bathad, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Phoola Devi to Fulla Devi for all future purposes. All concerned please note.

FULLA DEVI  
w/o Sh. Gopal Krishan,  
r/o Village Nagdhar, P.O. Bathad,  
Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.).

---

**CORRECTION OF NAME**

I, Thulu Ram s/o Sh. Het Ram, r/o Village Jauni, P.O. Dhabehar, Tehsil Bali Chowki, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card having No. 4682 9464 4105, my name is wrongly entered as Thoohalu Ram, whereas my correct name is Thulu Ram. Please correct it.

THULU RAM  
s/o Sh. Het Ram,  
r/o Village Jauni, P.O. Dhabehar,  
Tehsil Bali Chowki, District Mandi (H.P.).

---

**CORRECTION OF NAME**

I, Bhim Sen s/o Sh. Sarvan Kumar, r/o Village Bihali, P.O. Malunda, Tehsil Bhattiyat, District Chamba (H.P.) declare that my minor daughter's name is wrongly entered in her Aadhar Card No. 5983 6919 1351 as Nitisha. Her correct name is Natisha Devi as per birth certificate. All concerned please note.

BHIM SEN  
s/o Sh. Sarvan Kumar,  
r/o Village Bihali, P.O. Malunda,  
Tehsil Bhattiyat, District Chamba (H.P.).

---

**CORRECTION OF NAME**

I, Ravinder Kumar s/o Sh. Sarwan Singh, r/o Village Dhela, P.O. Gurumajra, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) declare that as per birth certificate and parivar nakal, correct name of my son is Mani Chaudhary, but in his Aadhar Card wrongly written as "Baby one of Pooja Devi". Now, I want to get name of my son corrected as Mani Chaudhary in Aadhar Card.

RAVINDER KUMAR  
s/o Sh. Sarwan Singh,  
r/o Village Dhela, P.O. Gurumajra,  
Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

**CORRECTION OF NAME**

I, Chundo w/o Sh. Jai Kishan, r/o Village Mihani, P.O. Sach, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 9242 9374 6324 my name is wrongly entered as Chhunko. Whereas my correct name is Chundo. I shall be known as Chundo for all purposes in future. All concerned please note.

CHUNDO  
w/o Sh. Jai Kishan,  
r/o Village Mihani, P.O. Sach,  
Tehsil & District Chamba (H.P.).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 मई, 2026

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-7/2026-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) को दिनांक 04-05-2026 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

(डॉ० विवेक ज्योति),  
अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि)।

2026 का अधिनियम संख्यांक 12.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 5 का संशोधन।
4. धारा 91 का संशोधन।
5. 122 का प्रतिस्थापन।
6. धारा 145 का संशोधन।

## हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 4 मई, 2026 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (16) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(16-क) “ग्राम सभा सदस्य” से ऐसा व्यक्ति जिसने ग्राम सभा की बैठक की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जिसका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज हो या पंचायत चुनावों से संबंधित उस ग्राम सभा की मतदाता सूची में प्रविष्ट हो अभिप्रेत है।”।

3. **धारा 5 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) में,—

(क) “ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम एक चौथाई” शब्दों के स्थान पर “ग्राम सभा के सदस्यों के एक-दशमांश” शब्द रखे जाएंगे, और

(ख) “ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम पांचवां भाग” शब्दों के स्थान पर “ग्राम सभा के कुल सदस्यों का बीसवां भाग या ग्राम सभा के तीस सदस्य, जो भी अधिक हो” शब्द रखे जाएंगे।

4. **धारा 91 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (9) में,—

(क) खंड (क) में, “आधे” शब्दों के स्थान पर “एक तिहाई” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खंड (ख) में, “दो तिहाई” शब्दों के स्थान पर “आधे” शब्द रखे जाएंगे।

5. **धारा 122 का प्रतिस्थापन.**—मूल अधिनियम की धारा 122 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“122 निरर्हताएं.—(1) कोई व्यक्ति पंचायत का प्राधिकारी चुने जाने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि वह सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके विरुद्ध स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन अपराधों का संज्ञान लेते हुए अपराधों में उसके विरुद्ध आरोप विचरित किए हों;

(ख) यदि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित किया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

- (ग) यदि उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो; या
- (घ) यदि वह इस अधिनियम की धारा 180 के अधीन किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो;
- (ङ) यदि उसने या उसके परिवार के किन्हीं सदस्यों ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छह वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

**स्पष्टीकरण.**—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद “परिवार का सदस्य” से, दादा, दादी, पिता, माता, पति—पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्री अभिप्रेत हैं;

- (च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस अधिनियम के अध्याय 10—क के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया है;
- (छ) यदि उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 129 के अधीन सद्व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है;
- (ज) यदि उसे लोक सेवा से हटाया गया है या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया गया है, सिवाय अस्वस्थता आधार के;
- (झ) यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है;

**स्पष्टीकरण.**—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद “सेवा” या “नियोजन” के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए यानियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं होगा।

- (ञ) यदि वह हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (1970 का 8) के अधीन आभ्यासिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (ट) यदि, जैसा इसमें, इसके पश्चात् उपबन्धित है उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पंचायत के आदेश द्वारा किए गए किसी संकर्म या पंचायत के साथ अथवा अधीन या उस द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है;
- (ठ) यदि उसने पंचायत द्वारा अधिरोपित किसी कर की बकाया संदत्त नहीं की है या उस द्वारा देय सभा, समिति अथवा जिला परिषद् निधि की किसी प्रकार की बकाया संदत्त नहीं की है या उसने कोई ऐसी राशि रख ली है जो सभा, समिति या जिला परिषद् निधि का भाग है;
- (ड) यदि वह पंचायत की अभिधृति या पट्टाधृति के अधीन अभिधारी या पट्टाधारी है या पंचायत के अधीन धारित पट्टाधृति या अभिधृति की लगान की बकाया में है;
- (ढ) यदि उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक उसकी ऐसी दोषसिद्धि से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो;

- (ण) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है; या
- (त) यदि उसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथाअपेक्षित कोई मिथ्या उद्घोषणा की हो;
- (2) कोई व्यक्ति पंचायत का प्राधिकारी होने के लिए निरर्हित होगा,—
- (क) यदि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित किया है :
- परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;
- (ख) यदि उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो;
- (ग) यदि वह इस अधिनियम की धारा 180 के अधीन किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो;
- (घ) यदि उसने या उसके परिवार के किन्हीं सदस्यों ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छह वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।
- स्पष्टीकरण.—**इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद “परिवार का सदस्य” से, दादा, दादी, पिता, माता, पति—पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्री अभिप्रेत हैं;
- (ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस अधिनियम के अध्याय 10—क के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक उसकी दोषसिद्धि से छह वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया है;
- (च) यदि उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 129 के अधीन सद्व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है;
- (छ) यदि उसे लोक सेवा से हटाया गया है या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया गया है, सिवाय अस्वस्थता आधार के;
- (ज) यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है;
- स्पष्टीकरण.—**इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद “सेवा” या “नियोजन” के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए यानियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अन्तर्गत नहीं होगा।
- (झ) यदि वह हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (1970 का 8) के अधीन आभ्यासिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

- (ज) यदि, जैसा इसमें, इसके पश्चात् उपबन्धित है उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पंचायत के आदेश द्वारा किए गए किसी संकर्म या पंचायत के साथ अथवा अधीन या उस द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है;
- (ट) यदि उसने पंचायत द्वारा अधिरोपित किसी कर की बकाया संदत्त नहीं की है या उस द्वारा देय सभा, समिति अथवा जिला परिषद् निधि की किसी प्रकार की बकाया संदत्त नहीं की है या उसने कोई ऐसी राशि रख ली है जो सभा, समिति या जिला परिषद् निधि का भाग है;
- (ठ) यदि वह पंचायत की अभिधृति या पट्टाधृति के अधीन अभिधारी या पट्टाधारी है या पंचायत के अधीन धारित पट्टाधृति या अभिधृति की लगान की बकाया में है;
- (ड) यदि उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक उसकी ऐसी दोषसिद्धि से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो;
- (ढ) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है; या
- (ण) यदि उसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथाअपेक्षित कोई मिथ्या उद्घोषणा की हो;

(3) यदि कोई पूर्व पदाधिकारी, पंचायत के किसी धन या निधि या अन्य सम्पत्ति जिस में वह एक पक्षकार रहा है की हानि, दुर्विनियोजन, दुर्व्यय, दुरुपयोजन हेतु दोषी पाया जाता है या जो अवचार के या उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण उसके द्वारा हुई है जब तक कि उसके पद छोड़ने से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो, पंचायत का कोई पदाधिकारी चुने जाने के लिए निरर्हित होगा; और

(4) यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति उप-धारा (1), (2) और (3) के अधीन की किसी निरर्हता के अधीन है या हो गया है, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित द्वारा विनिश्चित किया जाएगा:—

- (क) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उठता है तो, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए;
- (ख) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् उठता है तो उपायुक्त द्वारा”।

**6. धारा 145 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 145 (2023 का 45) में, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में और (8) तक, और शब्दों, चिन्हों और अंकों के पश्चात् “या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन या भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 और 42 के अधीन शब्द, चिन्ह और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

-----  
*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**ACT No. 12 of 2026.**

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2026**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

*Sections :*

1. Short title.
2. Amendment of section 2.

3. Amendment of section 5.
4. Amendment of section 91.
5. Substitution of section 122.
6. Amendment of section 145.

ACT No. 12 of 2026.

## THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2026

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 4TH MAY, 2026)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2026.

**2. Amendment of section 2.**—In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the “principal Act”), after clause (16), the following clause shall be inserted, namely:—

“(16-A) “Gram Sabha member” means a person who has attained the age of 18 years on the date of Gram Sabha meeting and whose name is registered in the Parivar Register or entered in the list of voter of such Gram Sabha relating to panchayat elections;”.

**3. Amendment of section 5.**—In section 5 of the principal Act, in sub-section (3),—

- (a) for the words “one fourth of the total number of families represented by one or more members of the Gram Sabha”, the words “one tenth of members of the Gram Sabha” shall be substituted; and
- (b) in proviso, for the words “at least one fifth of the total number of families represented by one or more member of Gram Sabha”, the words and sign “one twentieth or thirty Gram Sabha members, whichever is more” shall be substituted.

**4. Amendment of section 91.**—In section 91 of the principal Act, in sub section (9),—

- (a) in clause (a), for the words, “one half”, the words “one third” shall be substituted; and
- (b) in clause (b), for the words “two third”, the words “one half” shall be substituted.

**5. Substitution of section 122.**—For section 122 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

**"122. Disqualifications.—**(1) A person shall be disqualified for being chosen as an office bearer of a panchayat,—

- (a) if he is under trial in a competent court which has taken cognizance and has framed the charges against him of the offences under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) ;
- (b) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of the election to the State Legislature:

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years, if he has attained the age of 21 years;

- (c) if he has been convicted of any offence involving moral turpitude, unless a period of six years has elapsed since his conviction;
- (d) if he has been found guilty of any corrupt practice under section 180 of this Act, unless a period of six years has elapsed since the date on which the finding of the authorised officer as to such practice has been given;
- (e) if he or any of his family member (s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.

*Explanation.—* For the purpose of this clause the expression “family member” shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son and unmarried daughter;

- (f) if he has been convicted of an electoral offence under Chapter X-A of this Act or under any law for the time being in force unless a period of six years has elapsed since his conviction;
- (g) if he has been ordered to give security for good behavior under section 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) ;
- (h) if he has been removed from public service or disqualified for appointment in public service, except on medical grounds;
- (i) if he is in the employment or service under any panchayat or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the control of the Central or the State Government.

*Explanation.—*For the purposes of this clause the expression “service” or “employment” shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, daily or contract basis but shall not include any person who is engaged on casual or seasonal works;

- (j) if he is registered as a habitual offender under the Himachal Pradesh Habitual Offenders Act, 1969 (8 of 1970) ;

- (k) if, save as hereinafter provided, he has directly or indirectly any share or interest in any work done by an order of a panchayat, or in any contract or employment with, or under, or by, or on behalf of, the panchayat;
- (l) if he has not paid the arrears of any tax imposed by a panchayat or had not paid the arrears of any kind due from him to the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund; or has retained any amount which forms part of the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund;
- (m) if, he is a tenant or lessee holding a tenancy or lease under a panchayat is in arrears of rent of lease or tenancy held under the panchayat;
- (n) if he has been convicted of an offence punishable under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955) ; unless a period of six years has elapsed since his conviction;
- (o) if he is so disqualified by or under any other law made by the State Legislature; or
- (p) if he has made any false declaration as required under this Act or the rules made thereunder.
- (2) A person shall be disqualified for being an office bearer of a panchayat,—
- (a) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of the election to the State Legislature:
- Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years, if he has attained the age of 21 years;
- (b) if he has been convicted of any offence involving moral turpitude, unless a period of six years has elapsed since his conviction;
- (c) if he has been found guilty of any corrupt practice under section 180 of this Act, unless a period of six years has elapsed since the date on which the finding of the authorised officer as to such practice has been given;
- (d) if he or any of his family member (s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.
- Explanation.*— For the purpose of this clause the expression “family member” shall mean grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son and unmarried daughter ;
- (e) if he has been convicted of an electoral offence under Chapter X-A of this Act or under any law for the time being in force unless a period of six years has elapsed since his conviction;
- (f) if he has been ordered to give security for good behavior under section 129 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) ;

- (g) if he has been removed from public service or disqualified for appointment in public service, except on medical grounds;
- (h) if he is in the employment or service under any panchayat or of any other local authority or Co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the control of the Central or the State Government.

*Explanation.*—For the purposes of this clause the expression “service” or “employment” shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, daily or contract basis but shall not include any person who is engaged on casual or seasonal works;

- (i) if he is registered as a habitual offender under the Himachal Pradesh Habitual Offenders Act, 1969 (8 of 1970) ;
- (j) if, save as hereinafter provided, he has directly or indirectly any share or interest in any work done by an order of a panchayat, or in any contract or employment with, or under, or by, or on behalf of, the panchayat;
- (k) if he has not paid the arrears of any tax imposed by a panchayat or had not paid the arrears of any kind due from him to the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund; or has retained any amount which forms part of the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund;
- (l) if, he is a tenant or lessee holding a tenancy or lease under a panchayat is in arrears of rent of lease or tenancy held under the panchayat;
- (m) if he has been convicted of an offence punishable under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955) ; unless a period of six years has elapsed since his conviction;
- (n) if he is so disqualified by or under any other law made by the State Legislature; or
- (o) if he has made any false declaration as required under this Act or the rules made thereunder.

(3) If an Ex-Office bearer is found guilty for loss, misappropriation, waste, or misapplication of any money or fund or other property of the panchayat to which he has been a party, or which has been caused by him by misconduct or gross negligence of his duties unless a period of six years has elapsed since his demitting the office, shall be disqualified for being chosen as an office bearer of a panchayat.

(4) The question whether a person is or has become subject to any of the disqualifications under sub-section (1), (2) and (3), shall after giving an opportunity to the person concerned of being heard, be decided,—

- (a) if such question arises during the process of an election, by an officer as may be authorised in this behalf by the State Government, in consultation with the State Election Commission; and
- (b) if such question arises after the election process is over, by the Deputy Commissioner."

**6. Amendment of section 145.**—In section 145 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), after the words, sign and figures “Bhartiya Nayaya Sanhita, 2023” (45 of 2023) the words, signs and figures “or under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (61 of 1985) or under section 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927, ” (16 of 1927) shall be inserted.

---